# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर
## पीठासीन अधिकारी– जीतेन्द्र सिंह नरूका

सिविल प्रकरण संख्या– 28 / 2023 तारीख रजू :– 13.06.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. विजय प्रकाश नामा पुत्र श्री मूल चन्द नामा उम्र 46 वर्ष जाति छीपा निवासी घारी मौहल्ला शहर सवाईमाधोपुर (खाद्य विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स उदयवाल एन्टरप्राईजेज पुरानी अनाज मण्डी निखार साडी शोरूम के पास शहर सवाईमाधोपुर।
2. पीयूष वर्मा पुत्र श्री ब्रज नारायण वर्मा निवासी 132 ए जी ब्लॉक, यशोदा नगर कानपुर नगर उत्तरप्रदेश (नोमिनी) मैसर्स एनआईएफ प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं0 119,120,121 (पार्ट) ब्लॉक पी एवं टी कल्पी रोड फजलगंज कानपुर नगर उत्तरप्रदेश 308012।
3. मैसर्स एनआईएफ प्राईवेट लिमिटेड दुकान नं 19–21 श्याम विहार सब्जी मण्डी के सामने प्लाट नं० 4 विश्वकर्मा जयपुर। (प्राधिकृत परिसर)
4. मैसर्स एनआईएफ प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं० 119,120,121 (पार्ट) ब्लॉक पी एवं टी कल्पी 4 रोड फजलगंज कानपुर नगर उत्तरप्रदेश 308012 ( पंजीकृत कार्यालय )

......अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 52

**निर्णय** दिनांक 15/01/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया (आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23/09/2022 को समय 12.30 पी.एम. पर मैसर्स उदयवाल एन्टरप्राईजेज पुरानी अनाज मण्डी निखार साडी शोरूम के पास शहर सवाईमाधोपुर के गोदाम पर पहुँचा वहा पर विजय प्रकाश नामा पुत्र श्री मूल चन्द नामा उम्र 46 वर्ष जाति छीपा निवासी घासी मौहल्ला शहर सवाईमाधोपुर (खाद्य विक्रेता एवं फर्म मालिक) उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, एवं विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन / खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी गई तथा विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति पेश की गई तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया तथा विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ देशी घी (Namaste India Brand) 500 एमएल गोदाम में रखे हुए थे के मानक स्तर का नही होने का शक होने पर नमूना

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं० 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्त की गई।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ देशी घी (Namaste India Brand ) 500 मिलीलीटर के 04 पैकिट वास्ते नमूना जांच हेतु कय कर राशि 1020/–रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये एवं तस्दीक कर स्वय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ देशी घी ( Namaste India Brand ) 500 मिलीलीटर के 04 पैकिट को मूल ही लेकर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक एच 2443 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री विजय प्रकाश नामा पुत्र मूलचन्द नामा ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं० 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा द्वारा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बन्द नमूना भाग गय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/146 दिनांक 04/11/2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. –एलएस/2837/ACT/2022/2869 दिनांक 10/10/2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ देशी घी ( Namaste India Brand ) Misbranded पाया गया है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मालिक विजय प्रकाश नामा को फर्म मालिक / भागीदार / नोमिनी हेतु सूचना भिजवाने बाबत् लिखा गया। यह है कि विक्रेता द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र व फर्म मालिक का आधार प्रस्तुत किया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स एनआईएफ प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर को फर्म के मालिक/भागीदार/नोमिनी की सूचना भिजवाने हेतु लिखे पत्र जिस पर एनआईएफ प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र व नॉमिनी से सम्बंधित लेटर भिजवायें गयें।

यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/146 दिनांक 04/11/2022 की पालना में श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/697 दिनांक 02/05/2023 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्यायनिर्णयंन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 की ओर से श्री धर्मचन्द जैन एड0 द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा अभियुक्त संख्या 2 लगायत 4 की ओर से श्री इरफान हुसैन एड0 द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने मिसब्राण्डेड प्रकृति की खाद्य वस्तु देशी घी ( Namaste India Brand ) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त संख्या 1 ने दौराने बहस तर्क दिया कि उनके द्वारा विक्रय की गयी खाद्य वस्तु देशी घी ( Namaste India Brand ) जरिये बिल निर्माता कम्पनी से क्रय किया गया था अतः प्रकरण में उनको दोषमुक्त किया जाकर उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही को ड्रोप फरमाने की कृपा करें। अभियुक्त संख्या 2 लगायत 4 ने दौराने बहस कथन किया कि उनके द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ देशी घी ( Namaste India Brand ) लेब जांच में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 व नियम 2011 के मानकों पर खरा उतरा है। लेब रिपोर्ट दिनांक एल0एस0/2837/एक्ट/2869 दिनांक 10/10/2022 के अनुसार उनकी फर्म द्वारा निर्मित प्रोडक्ट के लेबल पर यूज वाई डेट तथा सर्व परसन्टेज का अंकन नहीं किया गया है जबकी Food Safety Standards (Labelling and Display) and Regulation 2020 के Regulation no- 5(3)(b) के अनुसार Nutritional Information per 100g or 100ml or per single consumption pack of the product and per serve percentage (%) contribution to Recommended Dietary Allowance calculated on the basis of 2000kcal energy, 67 g total fat, 22 g saturated fat, 2 g trans fat, 50 g added sugar and 2000 mg of sodium (5 g salt) requirement for average adult per day, shall be given on the label containing the following: — (i) energy value (kcal); (ii) the amounts of (A) Protein (g); (B) Carbohydrate (g) and Total Sugars (g), added sugars (g); (C) Total fat (g), saturated fat (g), trans fat (other than naturally Version-I (23.09.2021) occurring trans fat)(g)and cholesterol (mg); उनके उत्पाद में डाईटरी अलाउन्स व सोडियम की मात्रा नहीं अंकित किये जाने बावत सेम्पल मिसब्राण्ड किया गया है जबकी नियमानुसार 2000 एमजी सोडियिम पाये जाने पर ही लेबल पर अंकित किये जाने का नियम एक्ट में दिया गया है तथा लेब रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि सेम्पल में उक्त मात्रा से अधिक सोडियम पाया गया है। यह है कि Regulation no-

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

**5(10)(a) Date Marking.- (a) "Date of manufacture or packaging" and "Expiry/Use by" shall be declared on the label. However, expression "Best before" may also be used as optional or additional information** उक्त बेस्ट बिफोर की सूचना एक्ट के अनुसार ऑप्शनल इनफोमेशन के अन्तर्गत आती है। इसके अतिरिक्त उनकी फर्म द्वारा यूज बाई पैकिंग में अंकित की गई है तथा पैकिंग प्रस्तुत जवाब के साथ संलग्न कर उनके द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः उनके द्वारा खाद्य सुरक्षा एक्ट के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। अपनी बहस के अन्त में फर्म के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण निरस्त फरमाने बाबत निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनी गई व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार एवं वकील उभय पक्ष द्वारा दी गयी दलीलों से मै इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में खाद्य वस्तु देशी घी ( Namaste India Brand ) के सेम्पल के संबंध में Food Safety Standards (Labelling and Display) and Regulation 2020 के Regulation no-5(3)(b) and Regulation no- 5(10)(a) के उल्लंघन का आरोप है। उक्त नियमों का अवलोकन करने पर बेस्ट बिफोर की सूचना के एफएसएस एक्ट के अनुसार ऑप्शनल इनफोर्मेशन के अन्तर्गत आने तथा उत्पाद में डाईटरी अलाउन्स व सोडियम की मात्रा नहीं अंकित किये जाने बाबत नियमानुसार सोडियम की मात्रा 2000 एमजी से अधिक पाये जाने पर ही लेबल पर अंकित किये जाने के वकील प्रार्थीगण के कथन से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

उक्त विवेचन के आधार पर खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत Food Safety Standards (Labelling and Display) and Regulation 2020 उल्लंघन के आरोप मेरी राय में न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः मेरी राय में प्रकरण निरस्त योग्य पाये जाने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जीतेन्द्र सिंह नरूका )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर